

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2023

विषय:- सरोगेसी(विनियमन) अधिनियम-2021 तथा सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम-2021 के अन्तर्गत गठित "जनपदीय समुचित प्राधिकरण" हेतु क्लीनिकों/बैंकों के पंजीकरण तथा पंजीकरण के लिये जमा किये गये आवेदनों के सम्पादन/संशोधन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक(समन्वय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-U.11019/133/2022-HR, दिनांक 24.01.2023(प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ए0आर0टी0 एवं सरोगेसी एक्ट, 2021 के अन्तर्गत क्लीनिकों/बैंकों के पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

1) Clinics/Banks, which have submitted their application forms (complete in all respects along with registration fee) for registration to respective State/UT authorities may be allowed to conduct counselling or procedures pertaining to ART or Surrogacy for a period up to 31/03/2023 subject to following conditions:-

- a) The such clinics/banks shall stop conducting counseling or procedures pertaining to ART or Surrogacy from the date the application submitted for registration is rejected by the State/UT Appropriate Authority by issuance of an Order of Rejection if this happens before 31/03/2023.
- b) That such clinics/banks shall continue conducting counseling or procedures pertaining to ART or Surrogacy unabated for a period of 3 years (for surrogacy clinics) or for a period of 5 years (for ART Clinics and ART Banks) from the date the application submitted for registration is accepted by the State/UT Appropriate Authority for grant of registration certificate by issuance of an Order of Registration if this happens before 31/03/2023.

2) clinics/banks which have not applied for registration or whose applications are incomplete or deficient in any respect shall cease to conduct counselling or procedures pertaining to ART or Surrogacy and concerned State/UT authorities shall take immediate action and issue necessary orders for closure of such clinics/banks forthwith and any violation thereof to be proceeded as per the provisions of the Acts as applicable.

2- उक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.02.2023(प्रति संलग्न) के माध्यम से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि क्लीनिकों और बैंकों द्वारा सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पंजीकरण के लिये जमा किये गये आवेदनों के सम्पादन/संशोधन हेतु किये गये अनुरोध पर DHR द्वार निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अधीन विचार किया जायेगा:-

1. that the order of grant of registration or rejection of application have not been issued.

ii. that the State/UT Appropriate Authority has conveyed its consent to the request made by applicant.

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उपरिसंदर्भित पत्रों दिनांक 24.01.2023 एवं 23.02.2023 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-जी0आई0-57(1)/पांच-9-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 शासन।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, 30प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।
7. निदेशक, (समन्वय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, 30प्र0।
9. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव।

ई-मेल

कार्यालय महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0सं0:-प.क./पी.एन.डी.टी./14/2023/6439-192

लखनऊ, दिनांक 14 मार्च 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- (5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
- (6) महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अश्विनी कुमार)

संयुक्त निदेशक, पी0एन0डी0टी0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ